2023/274

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
1,3 दावा	58/2023	19/12/23	26/5/25 16/6/25 7/7/25 6/8/25 20/8/25 1/9/25 15/9/25 23/9/25 6/10/25 13/10/25	16/1/23 30/7/24 27/8/24 19/9/24 26/9/24 ~~14/10/24~~ 14/10/24 6/11/24 26/11/24 19/12/24 15/1/25 28/1/25 15/2/25 5/3/25 17/3/25 9/4/25 23/4/25

अनवान

श्री गोपाललाल S/o उदयलाल कोली

निवासी बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट

डिक्रीदार

श्री घनश्याम लाल धाकड़

श्री धीसी लाल S/o जीतमल जाति धाकड़

निवासी लक्ष्मणपुरा, तह. बिजौलिया

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

मदयून

(No Instruction)

श्री – अनिल धाकड़

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियाँ, जिला–भीलवाड़ा

गोपाल .... बनाम .... चौसी

किस्म मुकदमा धारा .... 183 RTA .... प्रकरण संख्या 58/23

GCMS नम्बर:– 2023/274

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/8/25	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता द्वारा स्व. वादी के अवसर के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे स्वीकार किया गया। पत्रावली में मूल दावे का जवाब बंद किया जा चुका है। पत्रावली वास्ते स्व. वादी आगामी दिनांक 20/8/25 को पेश हो।	
20/8/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे पर है। पत्रावली दि. 1/9/25 को वास्ते स्व.वादी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ	
1-9-25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक परिषद बिजौलियाँ द्वारा कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली दिनांक 15-9-25 को वास्ते स्व.वादी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ	
15/9/25	पत्रावली पेश हुई प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा No instruction कर पत्रावली से मना किया। पत्रावली में वादी (गोपाल) के बयान लेखबद्ध किए गए। पत्रावली में बयान संलग्न पत्रावली है। पत्रावली वास्ते बहस / निर्णय आगामी दिनांक 23/9/25 को पेश हो।	No instruction 15/09/25 (अनिल धाकड़)
23/9/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे पर है। पत्रावली दि. 6/10/25 को वास्ते बहस / निर्णय पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ	

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड़ अधिंकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 58 / 2023 **दायर तारीख 19.12.2023**

अनवान्

गोपाल लाल पुत्र उदयलाल जाति कोली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.........वादी

बनाम

1. घीसीलाल पिता जीतमल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. गोपाल पिता जीतमल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. मन्नालाल पिता जीतमल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री घनश्यामलाल धाकड़ – अधिवक्ता वादी।
2. श्री अनिल धाकड़ – अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 13 /10 / 2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने जरिये अधिवक्ता श्री घनश्यामलाल धाकड वादपत्र **अर्न्तगत आदेश 7 नियम 1–3 जा0 दी0 धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी कि मौजा ग्राम मन्डोल पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद मे खाता संख्या 54 पर अंकित आराजी खसरा संख्या 598 / 204 रकबा 0.8094 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय वाली भूमि वादी के नाम पर खातेदारी हक अधिकारो से दर्ज रेकार्ड हैं। वादी के द्वारा अपनी उक्त वर्णित खातेदारी भूमि किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्त करने हेतु सिजारे या अन्य किसी प्रकार से उपयोग उपभोग हेतु नही दी हुई है। वादी को अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज रह काश्त करने का पूर्ण अधिकार है। वादी की आराजी खसरा संख्या 598 / 204 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादीगण का कोई सम्बंध एवं वास्ता नही है उक्त वर्णित आराजीयात के कुछ हिस्से पर विगत 2 वर्षो से शनैः शनैः प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर लिया गया। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को अपनी खातेदारी भूमि से कब्जा हटाने बाबत कहां तो प्रतिवादीगण इंकार हो गये एवं लडाई झगडा करने पर आमादा हो गयें। वादी ने दिनांक 07.06.2023 को अपनी उक्त वादग्रस्त आराजीयात की सीमा की जानकारी हेतु पत्थरगढ़ी करवाई तो इस तथ्य की जानकारी हुई की वादी की मौजा ग्राम मन्डोल पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद मे खाता संख्या 54 पर अंकित आराजी खसरा संख्या 598 / 204 रकबा 0.8094 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर मे से रकबा 0.0971 हैक्टेयर पर प्रतिवादीगण संख्या 1 घीसीलाल पिता जीतमल धाकड निवासी लक्ष्मणपुरा, तथा रकबा 0.0971 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 2 गोपाल पिता जीतमल धाकड़ निवासी लक्ष्मणपुरा तथा रकबा 0.0647 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 3 मन्नालाल पिता जीतमल धाकड़ निवासी लक्ष्मणपुरा ने नाजायज कब्जा कर रखा है वादी ने प्रतिवादीगण से पत्थरगढ़ी की सीमा तक वादी की खातेदारी भूमि से कब्जा हटाने बाबत् कहा तो वे तैयार नही हुये और कब्जा भी नही सौंपा एंव लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो गये और पत्थरगढ़ी के जो मुस्तकील मुटाम लगाये गये उनको भी प्रतिवादीगण ने उखाड़ दिये। इस कारण वादी को प्रतिवादीगण को बेदखल करने हेतु न्यायालय श्रीमान् के समक्ष वाद प्रस्तुत करना पड़ा हैं। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा स्वामित्व नही होते हुए भी प्रतिवादीगण ने पत्थगढ़ी करवाने के बाद भी जबरन वादी की खातेदारी भूमि पर कब्जा कर रखा हैं

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

एवं पटवार हल्का द्वारा लगाये गये पत्थरगढ़ी के गुरतकील गुटाग को उखाड़ कर फेंक दिया व वर्तमान मे तिवादीगण ने जबरन उक्त भूमि पर कब्जा कर वादी को बेदखल कर रखा है जबकि उक्त भूमि मे तिवादीगण का किसी प्रकार का हक हिस्सा व स्वामित्व निहित नही है प्रतिवादीगण के अवैध कृत्य की जह से वादी को अपने खातेदारी अधिकारो से एवं भूमि के उपयोग उपभोग से महरूम होना पड़ रहा है। ादी प्रतिवादीगण से वापस कब्जा प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है। वादी को 2 वर्ष पूर्व प्रतिवादीगण ारा वादी की खातेदारी भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने की कार्यवाही शुरु करने, दिनांक 25.06.2023 को ादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण को कब्जा हटाने की कहने एवं प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा टाने से इंकार कर दिये जाने से बिनाय दावा उत्पन्न हो सतत रुप से जारी हैं। वादी स्वयं की खातेदारी ूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है, साथ ही ब्जा प्राप्त होने तक लगान का 50 गुणा मुआवजा भी प्राप्त करने के अधिकारी है।

वादी ने अनुतोष चाहा कि :– वादी की भूमि मौजा ग्राम मन्डोल पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा हसील बिजौलियॉं की सरहद मे खाता संख्या 54 पर अंकित आराजी खसरा संख्या 598/204 रकबा 0. 094 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर मे से रकबा 0.0971 हैक्टेयर पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ीसीलाल पिता जीतमल धाकड़ निवासी लक्ष्मणपुरा, तथा रकबा 0.0971 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादीगण ंख्या 2 गोपाल पिता जीतमल धाकड निवासी लक्ष्मणपुरा तथा रकबा 0.0647 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादीगण ंख्या 3 मन्नालाल पिता जीतमल धाकड़ निवासी लक्ष्मणपुरा का अवैध कब्जा हटाया जाकर वादी को पुनः ब्जा सिर्पद किये जाने की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण सादर फरमायी जावें। एवं धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादी को जो अनुतोष मुफीद हो प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल ादपत्र भेज करवायी गयी। प्रतिवादीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार धाकड़ ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त प्रकरण मे प्रतिवादीगण की ओर से निम्न प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9–10 सिविल प्रक्रिया संहिता एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पेश किया कि :–उक्त अनवानित प्रकरण की पत्रावली श्रीमान के समक्ष लम्बित होकर के वास्ते जवाब हैतु नियत है। उक्त प्रकरण में वादग्रस्त भुमि के पास मे प्रतिवादीगण की खातेदारी भुमि स्थित है जिसके आराजी सख्या 572/204, 573/204 कुल किता 2 रकबा 1.6188 ह0 भुमि बहक खातेदारी स्थित है। प्रतिवादीगण के द्वारा अपनी उक्त आराजीयात की पत्थरगढी करने के लिये न्यायालय हाजा मे वादपत्र पेश किया जिसमे आदेश हो चुके है परन्तु अभी तक पालनार्थ पत्थरगढी नही की गई है। वादी व प्रतिवादीगण की कृषि आराजीयात पास में ही है, मौका स्थिति मे प्रतिवादीगण जिस जगह पर कब्जा काश्त कर रहे है वहा पर 32 वर्ष से काश्त कर रहे है मौके पर कभी भी भुमि को लेकर के वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नही हुआ है। न्यायालय हाजा के आदेश की पालना मे प्रतिवादीगण की भुमि की पत्थरगढी नही हुई है जिससे प्रतिवादीगण को अपनी खातेदारी भुमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार जानकारी नही हो पा रही है। प्रतिवादीगण व वादी की भुमि की मौका स्थिति की रिपोर्ट मंगवाया जाना आवश्यक है जिससे राजस्व रिकार्ड व मौके अनुसार स्थिति स्पष्ट हो सके। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमा कर राजस्व रिकार्ड व मौकानुसार स्थिति की रिपोर्ट मंगवाने का आदेश प्रदान करना फरमावें।

उक्त प्रकरण मे प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अधिवक्ता वादी द्वारा जवाब पेश किया कि :– प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1, 2, 3, को अस्वीकार होकर प्रार्थी की जानकारी में नहीं हैं। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित वादी एवं प्रतिवादीगण की कृषि आराजीयात पास पास होना स्वीकार हैं लेकिन मौका स्थिति में प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी आराजीयात पर नाजायज काबिज हैं। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित न्यायालय की पालना अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रेकॉर्ड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 अस्वीकार हैं प्रतिवादीगण द्वारा मौका स्थिति की रिपोर्ट चाही गयी लेकिन वादी की खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी होकर मौका पर्चा रिपोर्ट प्रस्तुत हैं और राजस्व रेकॉर्ड की स्थिति वादी की जमाबन्दी से स्पष्ट हैं। अधिवक्ता वादी ने विशेष कथन में अंकित किया कि राजस्व रेकॉर्ड अनुसार वादी क खातेदारी आराजी स्पष्ट हैं एवं मौका पर्चा अनुसार प्रतिवादीगण का वादी की आराजीयात पर नाजायज कब्जा हैं। अतः प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र को खारीज फरमाया जाने का आदेश प्रदान करना फरमावें।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 03 पर